राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।

क्रमांक एफ.25(50)आईसीडीएस/कम्प्यूटर/राजपोषण/2015/ 87517-853 जयपुर, दिनांकः 5.7.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त .....

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त .....

विषयः–राजपोषण सॉफ्टवेयर में वृद्धि किये गये मानदेय दर के अनुसार मानदेय के बिल बनाने बाबत ।

सन्दर्भः–निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.2 ( )बजट/मानदेय वृद्धि/ICDS/12/62816 दिनांक 16.05.16 के क्रम में ।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में राजपोषण सॉफ्टवेयर मे 01 जून–2016 से मानदेय में वृद्धि का प्रावधान कर दिया गया है। अतः सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह जून–2016 से मानदेय के बिल वृद्धि किये गये मानदेय दर के अनुसार बनाया जाना सुनिश्चित करें। जिन मानदेय कर्मियों के मानदेय के बिल माह जून–2016 से पहले के बकाया है उनके बिल 01 जून–2016 से पहले देय मानदेय दर के अनुसार ही बनाये जायेगें। ऐसी व्यवस्था राजपोषण सॉफ्टवेयर में बिल बनाये जाने वाले माह के अनुसार उपलब्ध है।

2. विभाग में सैक्टर बैठक मानदेय कर्मियों के उपस्थिति पत्रक के कारण माह में 2 बार बुलाई जाती रही है जिसके कारण यात्रा भत्ता के रूप मे दिये जाने वाली राजकीय राशि का व्यय होता है एवं राजकार्य भी बाधित होता रहा है। इसे रोकने के लिये आदेश क्रमांक प.11(2)( )मोनेटरिंग/आईसीडीएस/MPR/77536-873 दिनांक 10.06.2016 के परिशिष्ट–अ के अनुसार सैक्टर बैठक प्रत्येक माह में एक ही बार आयोजित की जायेगी तथा परिशिष्ट–अ के क्रम संख्या 2 (1) के अनुसार महिला पर्यवेक्षक मानदेय कर्मियों के उपस्थिति पत्रक (प्रत्येक माह की एक तारीख से माह के अन्तिम तारिख तक) एकत्रित कर संबंधित परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर माह जून–2016 से मानदेय के बिल बनाये जायेगें।

3. जिन मानदेय कर्मियों के माह मई–2016 के मानदेय का भुगतान हो चुका है उनके 21 मई से 31 मई–2016 तक के अनुपस्थित दिनों को माह जून–2016 (01 से 30 जून) के उपस्थिति पत्रक में अनुपस्थित दिनों के साथ जोड कर शेष रहे वास्तविक उपस्थित दिनों का ही मानदेय के बिल बनाये जावे। (उदाहरण के लिये यदि कोई मानदेय कर्मी 21 मई से 31 मई–2016 के मध्य 4 दिन अनुपस्थित है एवं जून–2016 में 2 दिन अनुपस्थित है तो जून के मानदेय में से कुल 6 दिन अनुपस्थित मानते हुये मानदेय के बिल बनाये जायेगें)।

4. यदि किसी मानदेय कर्मी के माह जून में (उपरोक्तानुसार) अनुपस्थित दिवसों की संख्या 30 दिनों (माह मई के 11 दिन + जून के 30 दिन) से अधिक है तो शेष रहे अनुपस्थित दिनों को माह जुलाई के अनुपस्थित दिनों में जोड कर वास्तविक उपस्थित दिनों के मानदेय के बिल बनाये जावे। (उदाहरण के लिये यदि किसी मानदेय कर्मी के दिनांक 21 से 31 मई तक 11 अनुपस्थित दिवस है एवं माह जून में 25 अनुपस्थित दिवस है तो कुल 36 दिवस अनुपस्थित मानते हुये पूरे जून–2016 को अनुपस्थित मानकर एवं शेष रहे 6 अनुपस्थित दिवस को आगामी जुलाई माह के अनुपस्थित दिवसों में जोड कर वास्तविक मानदेय के बिल बनाये जावें)।

5. अतः सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वास्तविक उपस्थित दिवसों के आधार पर ही मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.25(50)आईसीडीएस/कम्प्यूटर/राजपोषण/2015/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वित्तीय सलाहकार, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (मो), समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान , जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (I)
समेकित बाल विकास सेवाएँ